ग्राम पंचायत भूम्पल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भूम्पल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री बलवन्त सिंह	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति सुषमा देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.14 से 28.05.15
2	श्री बिक्रम सरोच	29.05.15 से 27.01.16
3	श्रीमति बन्दना देवी	28.01.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भूम्पल, विकास खण्ड नादौन के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	14.15
3	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का	1.15

		क्रय करना	
4	11	13वें वित्त आयोग से अनियमित भुगतान करने बारे	0.16

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भूम्पल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.01.18 से 04.01.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	09/2014
2015-16	09/2015	05/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भूम्पल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 04.01.18 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 245389(KCCB) दिनांक 16.01.18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत भूम्पल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत भूम्पल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	150680	24854	175534	193	175341
2015-16	175341	80486	255827	0	255827
2016-17	255827	40078	295905	11918	283987

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत भूम्पल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	403475	900894	1304369	664021	640348
2015-16	640348	1280328	1920676	907164	1013512
2016-17	1013512	2341930	3355442	1940451	1414991

बैंक समाधान विवरणी :-

स्वः स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹283987/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1414991/-

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1698978/-

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1698204/-
दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व-स्त्रौत) : ₹689/-
दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (13th FC) : ₹85/-
कुल अन्त शेष ₹1698978

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -5670	283298/-
13th & 14th FC, PNB -962685	1029577/-
13th & 14th FC HDFC –153793419	206054/-
GEN-B, KCCB – 6505	97626/-
Water Shed, PNB – 989956	59701/-
Water Shed, PNB – 974404	21948/-
MNREGA, PNB -966672	0
कुल राशि	**₹1698204**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 (क) शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹400 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु

विवाह पंजीकरण फीस ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 में निम्न विवरणानुसार ₹400/- पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	**नाम**	**विवाह की दिनांक**	**पंजीकरण की दिनांक**	**वसूली योग्य पंजीकरण राशि**
29 (2016)	श्री सुनील कुमार	26.10.16	08.11.16	200/-
30	श्री राकेश कुमार	02.11.16	10.11.16	200/-
		कम वसूली गई राशि		**₹400.00**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण के दौरान कहा गया था, जिसकी अनुपालना में रसीद संख्या 14449 एवं 14450 दिनांक 02.01.18 द्वारा ₹400 की वसूली कर ली गई थी। अतः भविष्य में समस्त वसूलियाँ करना सुनिश्चित करें।

(ख) भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 अनुदान ₹14.15 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1414991 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.15 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹115440 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस

अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सीमेंट भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज उक्त नियमों के अनुसार भण्डार रजिस्टर में न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 वाउचर संख्या 35 दिनांक 24.03.17 (13वें वित्त आयोग) में ₹432 का अधिक भुगतान :-

चयनित माह 03/2017 के वाउचर संख्या 35 दिनांक 24.03.17 (13वें वित्त आयोग) की जांच में पाया कि बिल संख्या 7 में निर्माण कार्य " मु. कुआं ज्ञान चन्द के खेत में " में खाता संख्या 962685 (13th FC) से ₹12496 का भुगतान किया गया था, जबकि जांच में पाया कि उक्त बिल का कुल योग ₹12064 बनता था। अर्थात उक्त बिल में आपूर्तिकर्ता को ₹432 का अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 03.01.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 04.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान राशि की वसूली कर ली जायेगी। अतः वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

10 ₹1191 के व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

वाउचर संख्या 43 दिनांक 24.03.17 की जांच में पाया कि 13वें वित्त आयोग के खाता संख्या 50100153793419 से चैक संख्या 25 द्वारा ₹1191 (रोकड़ वही पृष्ठ -94) का भुगतान किया गया था, लेकिन इस भुगतान से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹1191 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 13वें वित्त आयोग से ₹0.16 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

श्रीमति सुषमा देवी दिनांक 23.01.16 से ग्राम पंचायत भूम्पल की प्रधान बनी थी, जबकि जांच में पाया कि प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 10.08.15 में निम्नलिखित वाउचरों में ₹15518/- की राशि के भुगतान हेतु सुषमा देवी, प्रधान की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया दर्शाया था एवं प्रिंटर के क्रय हेतु ली गई निविदाएँ भी सुषमा देवी, प्रधान द्वारा सत्यापित की गई थी, जो कि

पूर्ण रूप से अनियमित हैं क्योंकि क्रय एवं भुगतान की तिथि को श्रीमति सुषमा देवी ग्राम पंचायत भूम्पल की प्रधान नहीं थी ।

वाउचर संख्या	बिल का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण	राशि
11 दिनांक 26.08.15	-	टेलीफ़ोन बिल	1159/-
12 दिनांक 26.08.15	-	टेलीफ़ोन बिल	1159/-
13 दिनांक 26.08.15	Bill No. – Dated 26.08.15 M/s Prime Tech Computer	Canon Laser Jet Printer MF 3010 (3 in One)	13200/-

अतः उक्त बिलों के भुगतान हेतु श्रीमति सुषमा देवी, प्रधान द्वारा प्रधान बनने से लगभग 6 माह पूर्व की दिनांक 10.08.15 को भुगतान हेतु प्रस्ताव पारित करने एवं निविदाएँ सत्यापित करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

12 ₹724 का अनियमित /अधिक भुगतान :-

चयनित माहों में व्यय वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में मिस्त्री को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दर पर भुगतान किया गया था, जिससे पंचायत को ₹724 की हानि हुई थी । अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

मस्ट्रोल संख्या/ वाउचर संख्या	मस्ट्रोल की अवधि	मिस्त्री को भुगतान की गई राशि	अनुमोदित दर एवं पत्र संख्या	कार्य का नाम	अधिक भुगतान
मस्ट्रोल संख्या:13 वाउचर संख्या: 25/ 01.03.17 (13वें वित्त आयोग)	17.02.17 से 28.02.17	श्री जगदीश चंद, 11 दिन @ ₹255/- प्रतिदिन = 2805/-	NO.Fin-(PR)B(7)-33/2010 Dated 17.04.16, Mason: ₹242/-	नि. नाली उतम चंद के घर से लेकर कुआं तक	143/-
मस्ट्रोल संख्या:10 वाउचर संख्या: 26/ 01.03.17 (13वें वित्त आयोग)	01.02.17 से 15.02.17	श्री जगदीश चंद, 15 दिन @ ₹255/- प्रतिदिन = 3825/-	-do-	नि. नाली पति देवी के घर से लेकर नाले तक	195/-
मस्ट्रोल संख्या:9 वाउचर संख्या: 27/ 01.03.17 (13वें वित्त आयोग)	02.02.17 से 28.02.17	श्री ओम प्रकाश , 10 दिन @ ₹255/- प्रतिदिन = 2550/-	-do-	नि. रास्ता उतम चंद के घर से विजय कुमार के घर तक	130/-
मस्ट्रोल संख्या:20 वाउचर संख्या: 36/ 24.03.17 (13वें वित्त आयोग)	02.03.17 से 30.03.17	श्री सुरेन्द्र कुमार, 9 दिन @ ₹255/- प्रतिदिन = 2295/-	-do-	नि. नाली गाँव ठुडियाल के कुआं से लेकर नाले की तरफ	117/-
मस्ट्रोल संख्या:661	06.12.16 से	श्री संजय, 9 दिन	-do-	नि. सम्पर्क	117/-

वाउचर संख्या: 29/ 07.02.17 (सामान्य रोकड़ वही)	30.12.16	@ ₹255/- प्रतिदिन = 2295/-		मार्ग मेन सड़क से ओम प्रकाश के घर तक	
मस्ट्रोल संख्या:-- वाउचर संख्या: 17/ 15.11.14 (सामान्य रोकड़ वही)	12.09.14 से 30.09.14	श्री सुरेश कुमार, 11 दिन @ ₹214/- प्रतिदिन = 2354/-	NO.Fin-(PR)B(7)-33/2010 Dated 24.05.14, Mason: ₹212/-	नि. नाली राजकुमार व पवन कुमार के खेतों तक	22/-
			कुल अधिक भुगतान		**₹724/-**

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 03.01.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 04.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि बारे जांच उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त अधिक भुगतान ₹724 की वसूली करने के साथ-साथ चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में किए गये इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की भी वसूली करना सुनिश्चित करें।

13 पंचायत की अधिशेष राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अधिशेष निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

17 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)51/2018 खण्ड–1–4423–4427 दिनांक 19.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत भूम्पल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।
5 वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–03

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881